Book No. :- 1 Deed No. 6827

Serial No. 6963 Circle:-:Danapur

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

W 594067

बिहार BIHAR

Deed No. 6827

Serial No. 6963

Govt. of Bihar

Sub Registry Office ,Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **20/06/2017** by **Ram Ishwar Rai**
A Stamp Duty of Rs. **1263860**/- and other Fees of Rs. **41000**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **6827** in Book No. **1**, Volume No. **126** on pages from **548** to **561** and has been preserved in total **14** pages in C.D. No. **20** / Year **2017**

20/6/2017

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

Date: 20/06/2017

Token No: 7325 /2017

विकास कार्य एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 20 माह जून सन् 2017 ई0

को:–

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

20-Jun-17

Shree Krishna Homes

Sub District Registry Office, Danapur

Token Number 7325 | Reg. Year 2017 | Serial Number 6963 | Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Claimant — Gyan Kaushik

Sig. Gyan Kaushik 20-6-17

Claimant — Tabrez Sultan

Sig. T. Sultan 20/6/2017

Presented By Ram Ishwar Rai

Sig. रामईश्वर राय 20|6|17

Executant — Ram Ishwar Rai

Sig. रामईश्वर राय 20|6|17

✕ Photo	✕ Thumb	✕ Index	✕ Middle	✕ Ring	✕ Little

Identified By Deepak Kumar

Sig. दीपक कुमार 20|6|17

SCORE Ver.4

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2802sop009

रामईश्वर राय 20|6|17

20-Jun-17

दर मो0 1251061 बारह लाख एक्यावन हजार साठ शब्दों में (रू0) मात्र

प्रथम प्रति (1)

(जमाकर्ता हेतु)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भू-स्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/पता— श्री कृष्णा होम्स शेखपुरा पटना 14.
शेखपुरा, श्री कृष्णा पु
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)

2. दस्तावेज का प्रकार — *बैय/मोख्तारनामा/वसियतनामा/बख्शीशनामा/बदलैन/गोदनामा*

3. निबंधन कार्यालय— *दानापुर (पटना)*

4. बैंक का नाम एवं शाखा ***State Bank of India Danapur (Patna)***

5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क--मुख्य शीर्ष --0030--स्टाम्प एवं पंजीकरण--उप--मुख्य शीर्ष 02--स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष --103--दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई--75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड-- R0030021030001, A/c No. 10963226587	1210060	1210060
निबंधन शुल्क --मुख्य शीर्ष --0030--स्टाम्प एवं पंजीकरण--उप--मुख्य शीर्ष --03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष --104--दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क--उप शीर्ष --0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड-- R0030031040001, A/c No. 10963226576	40000	40000
भूस्वामी शुल्क--मुख्य शीर्ष--0029--भू स्वामी लघु शीर्ष--800--अन्य प्राप्तियाँ--उप शीर्ष --0005-- अन्य मदें --प्राथमिक इकाई-- 75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड-- R0029008000006, A/c No. 10963226598		

10

1250060

भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट कुल योग
कुल राशि शब्दों में बारह लाख पचास हजार साठ रू
स्थान— दानापुर. (पटना)
तारीख 2/6/17

Shree Krishna Homes
Gyan Kaushik

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीछे पर अंकित कर दें ।
* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात् ही मान्य होगी । जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं0 .... तारीख .... उपर्युक्त कालम
संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रू0 .... /शब्दों में ....
रूपये प्राप्त किया प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

06 JUN 2017

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का विवरण

एस्को लेखा सं0: A/c No. 30978446198
जमा करने की तिथि :
बैंक स्क्रॉल सं0 : .... बैंक की प्राप्ति एवं मुहर
* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या — 2) x रू0 /—

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

SBI Danapur Branch 01254

1000
1250060
1251060

Shree Krishna Homes
Gyan Kaushik

(2)

श्री रामईश्वर राय पिता का नाम स्वर्गीय दीप नारायण राय , निवास स्थान कम्प दानापुर , पेठियापर , थाना एवं पत्रालय – दानापुर कैन्ट , जिला – पटना जिन्हें इसके आगे **जमीन मालिक** के नाम से सम्बोधित किया गया है (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड.कर उनके उत्तराधिकारी , निष्पादक , प्रशासक , हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेगें) , जिन्हें इसमें **प्रथम पक्ष** कहा गया है। M.No. 7765966500

ए वं म्

श्री कृष्णा होम्स , एक साझेदारी संस्था , जिसका कार्यालय –विद्या टावर , शेखपुरा , बेली रोड , थाना – शास्त्रीनगर , पत्रालय – बी0 भी0 कॉलेज, जिला – पटना , द्वारा पाटनर्स (1) **श्री ज्ञान कौशिक** पिता का नाम श्री विद्या विनोद सिंह , निवास स्थान विद्या टावर शेखपुरा , बेली रोड , थाना – शास्त्रीनगर, पत्रालय – बी0 भी0 कॉलेज , जिला – पटना एवं (2) **तबरेज सुलतान** पिता का नाम स्वर्गीय मो0 इब्राहिम साहेब , निवास स्थान – मकान न0 113 , रोड न0 9 , सेक्टर – 2, हारूण नगर , फुलवारीशरीफ , जिला पटना , के माध्यम से सम्पादित किया जाता है , जिन्हें इसके आगे **डेवलपर / भवन निर्माता / उन्नयनकर्ता / विकासक** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी , नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं , जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ है।

रामईश्वरराय 20|6|17

Gyan Kaushik 20-6-17

20/6/2017

अवर निबंधन कार्यालय

Shree Krishna Homes
Gyan Kaushik
Partners

यह कि जमीन मालिक मौजा **मुस्तफापुर ,** परगना फुलवारी , थाना दानापुर हाल थाना खगौल , जिला पटना के थाना न0 36 , तौजी न0 5276 , खाता न0 182, सर्वे प्लौट न0 8 , 12 एवं 11 एराजी **11 कट्ठा 7 धुर 3 धुरकी** , पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शान्तिपूर्वक दखल कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के अनुसूची संख्या 1 में वर्णित है , जो इस विलेख का भाग है।

यह कि उपरोक्त सम्पति सहित अन्य सम्पति की खरीदारी जमीन मालिक / ग्रथम पक्ष ने संयुक्त परिवार के आय से बजरिय वशिका केवाला वय ला कलामी दिनांक 26–04–1962 ई0 को नबिस्ते श्री राम देवन सिंह पिता का नाम स्वर्गीय रामलखन सिंह वो श्री कमला प्रसाद सिंह पिता का नाम स्वर्गीय रामदेवन सिंह , निवास स्थान चमारी चक , थाना दानापुर , जिला पटना से वय खरीद किये थे। जिसका पुस्तक संख्या 1 , जिल्द संख्या 11 , पृष्ट संख्या 502 से 504 , निबंधन संख्या 1241 सन् 1962 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के पश्चात जमीन मालिक एवं उनके परिवार के अन्य पट्टीदार क्रमशः श्री दीप नारायण राय वो श्रीमती चन्द्रावती देवी वो श्री जय प्रकाश राय वो श्री ओम प्रकाश राय वो श्री रामईश्वर राय , जमीन मालिक , एवं श्री विजय कुमार राय के बीच समस्त पैतृक सम्पति का आपस में खानगी विभाजन हुआ। जिसके अनुसार अनुसूची संख्या 1 में वर्णित सम्पति जमीन मालिक को खास हिस्सा में मिला। जिसपर जमीन मालिक निर्विवाद रूप से स्वामी के रूप में शान्तिपूर्वक दखल कब्जे में रखकर एवं अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर सरकार को जमाबन्दी रैयत संख्या 362 / 458 पर लगान का भुगतान करते चले आ रहे हैं। इस तरह से लेख्य सम्पति का अन्तरण एवं किसी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची –1 में वर्णित जमीन के सम्बन्ध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक साफ एवं स्वत्व

Shree Krishna Homes
Partners

दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक की होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा – खर्चा तथा क्षति पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक का होगा।

यह कि उपर्युक्त दोनो पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची संख्या 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखीत शर्तो पर किया जाय।

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के सहमति से यह तय किया कि अनुसूची संख्या 1 की जमीन पर नगर परिषद् दानापुर से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएगें।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलपर के बीच इस सम्बन्ध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलपर्स ने अन्तिम रूप से यह निर्णय लिया है कि उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेगें और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्त किया है कि उक्त सम्पति का डेभलपमेन्ट करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहूँचायेगें और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति (तीसरे पक्ष) के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में विकासकर्ता इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति भुगतान करने के उत्तरदायी होगें।

3. यह कि द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) अनुसूची संख्या 1 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना नक्शा पास होने की तिथि से **तीन वर्ष छः माह** एवं छः माह का ग्रेस अवधि के अन्दर करेगें।

Shree Krishna Homes

Partners

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अन्तिम रूप से निर्माण के पश्चात बहुमंजिला भवन के निर्मित सम्पूर्ण छत का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गये सदस्य भी करेगें।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया है कि नगर परिषद् खगौल / दानापुर द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में कुल निर्मित अंश का जमीन मालिक का **50 प्रतिशत** (पचास प्रतिशत) एवं भवन निर्माता का **50 प्रतिशत** (पचास प्रतिशत) हिस्सा पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन का **50 प्रतिशत** हिस्सा निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा। जमीन मालिक के हिस्सा के भवन एवं फ्लैटो का निर्माण इस विलेख के अनुसूची संख्या II में वर्णित शर्तों के अनूरूप निर्मित होगा।

6. यह कि उपर्युक्त नक्शा को नगर परिषद् खगौल / दानापुर से अनुमति लेने के लिये विकासक अपने हस्ताक्षर से जमा करेगें, इसमें किसी पक्ष को एतराज नहीं होगा, इसमें जो भी खर्च होगा उसे द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) को वहन करना होगा।

7. यह कि नगर परिषद् खगौल / दानापुर में नक्शा जमा करने हेतू प्रस्तावित नक्शा पर यदि आवश्यक हो प्रथम पक्ष अपना हस्ताक्षर करेगें।

8. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण पूरा करने के पश्चात भूखण्ड स्वामी के निर्मित में से 50 प्रतिशत देगें तथा विकासकर्ता का हिस्सा 50

Shree Krishna Homes
Partners

प्रतिशत होगा। विकासकर्ता **50** प्रतिशत भुखण्ड स्वामी को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौपेगें तथा शेष **50** प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) का होगा।

9. डेवलपर उक्त भूमि पर प्राधिकार द्वारा पारित नक्शा के आधार पर व्यवससायिक एवं आवासीय बहुमंजिला इमारत का निर्माण करेगें। उभय पक्ष को जो फ्लैट मिलेगा उसका नापी सुपर बिल्ट अप एरिया का होगा। सुपर बिल्ट अप एरिया का सभी सुविधा भी प्रथम पक्ष को मिलेगा। जेनरेटर , लिफ्ट , इंटरकॉम तथा ट्रान्सफॉर्मर का अतिरिक्त शुल्क भूस्वामी (प्रथम पक्ष) को नहीं देना होगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष को **50** प्रतिशत देने के बाद द्वितीय पक्ष द्वारा बेचे गये फ्लैट के क्रेता अपने अपने हिस्से के फ्लैट – पार्किंग एरिया का बिक्री करने , किराया लगाने एवं निजी उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा बेचे गये फ्लैट पर फ्लैटधारी किसी वित्तीय संस्था से आर्थिक ऋणभार के लिए स्वतंत्र हैं।

11. यह कि विकासकर्ता पहले भूखण्ड स्वामी के हिस्से को निर्माण पूर्ण कर सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर **3 वर्ष 6 माह** एवं **6 माह** का ग्रेस पिरियड के अन्दर सौंपेगें। शेष द्वितीय पक्ष के हिस्से का निर्माण को अगर निर्धारित समय से देरी होगी , तो उसमें प्रथम पक्ष को एतराज नहीं होगा। प्राकृतिक विपदा और अनहोनी के कारण भवन निर्माण में जितनी देरी होगी तो उतना समय दिये गये समय से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

Shree Krishna Homes

Partners

12. यह कि विकास एकरारनामा के अनुसूची –1 में वर्णित सम्पति पर विकासक द्वारा बैंक या किसी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया जायेगा किन्तु अनुसूची संख्या –1 में वर्णित सम्पति पर बहुमंजिला ईमारत बनने के क्रम में या बाद में फ्लैट के खरीदार द्वारा बैंक या किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जा सकता है।

13. यह कि सम्बन्धित व्यक्ति जैस रचनाकार , अभियंता , सर्वेयर , ठेकेदार की नियुक्ति विकासकर्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

14. यह कि बहुमंजिला ईमारत , योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेंट , औजार , ईंट , विद्युत कनेक्शन , लोहा आदि अन्य सम्बन्धित कार्यों हेतू सम्बन्धित पदाधिकारियों के पास आवेदन हेतू बांछित राशि लेकार द्वितीय पक्ष उक्त अभिलेख का निष्पादन करेगें।

15. यह कि दोनो पक्षों के बीच यह सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों के हस्तांतरण क्रेता को सरकारी स्टाम्प ड्यूटी खर्च एवं कोर्ट एवं रजिस्ट्रेशन खर्च का वहन खरीदार करेगें।

16. यह कि जब कभी विकासकर्ता को भूखण्ड स्वामी से सम्बन्धित फ्लैट क्षेत्र पर बने फ्लैट के हस्तांतरण हेतू किसी वसिका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी उनके साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिए स्वामित्व हस्तांतरण हेतू कागजात पर हस्ताक्षर बनायेगें एवं सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी उस पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर बनायेगें तथा निर्धारित हिस्सा के मुताबिक ही आचरण करेगें। उसी प्रकार भूखण्ड स्वामी भी अपने हिस्से में पड़ने वाली फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र के स्वामी होगें तथा हस्तांतरण के समय

Shree Krishna Homes

अवर निबंधन

अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्ता निष्पादन के समय गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर देगें।

17. यह कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विकासकर्ता द्वारा एक एसोशियन सभी फ्लैट धारियों (फ्लैट मालिको) का बनाया जायेगा। जो इस एसोशियशन के सदस्य होगें और सभी सदस्य मिलकर एपार्टमेन्ट का रख रखाव एवं देख रेख करेगें।

18. यह कि विकासक ने मो0 2,00,000/– दो लाख रूपया का भुगतान जमीन मालिक / प्रथम पक्ष को बजरिय Axis Bank Ltd. का चेक न0 071058 द्वारा भुगतान किया है। उक्त राशि Non Refundable राशि के रूप समझा जायेगा। जो वापस नहीं किया जायेगा। लेकिन यदि किसी कानूनी अड़चन के फलस्वरूप उक्त जमीन में बहुमंजिला इमारत का निर्माण नहीं हो सका तो वैसी हालत में जमीन मालिक उक्त राशि को विकासक को वापस कर देगे।

19. यह कि सभी न्यायिक मामलों का निपटारा पटना अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा। भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) तथा विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) उपरोक्त सभी बातों एवं शर्तो पर सहमत है तथा वादा करतें हैं कि इस कार्य को पूरा करने सहयोग करेगें।

20. निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण अनुसूची – 2 में अंकित है।

21. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनवद्ध है कि वे बिहार एपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेगें और अधिनियम के अनुरूप

Shree Krishna Homes

Partners

भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / संप्रवर्तक एवं भू–स्वामी अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होगें तथा वे अपने अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने / अन्तरण करने के हकदार होगें और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेगें जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से के क्षेत्र को बंधक रखकर ऋण ले सकेगें और बिक्रय के लिए एकरारनामा करेगें। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

अनुसूची संख्या –I

आवासीय परती जमीन जो मौजा मुस्तफापुर , सर्वे थाना दानापुर , हाल थाना खगौल , जिला पटना के थाना न0 36 (छतीस) , तौजी 5276 (पांच हजार दो सौ छिहतर) , खाता संख्या 182 (एक सौ बेरासी) , सर्वे खसरा संख्या 8 (आठ) , 11 (ग्यारह) एवं 12 (बारह) एराजी **11 कट्ठा 7 धुर 3 धुरकी** है। यह लेख्य सम्पति नगर परिषद् खगौल एवं अवर निबंधन कार्यालय दानापुर तथा जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। जिसकी वार्षिक लगान बिहार सरकार को अंचलाधिकारी दानापुर के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है।

चौहद्दी

उतर	:–	विजय कुमार राय
दक्षिण	:–	श्री ओम प्रकाश राय
पूरब	:–	खन्ता तत्पश्चात दानापुर खगौल रोड
पश्चिम	:–	स्वर्गीय बोका सिंह के उत्तराधिकारी

Shree Krishna Homes

Partners

उपरोक्त जमीन मुख्य खगौल रोड़ पर स्थित है , जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो0 6,29,93,000 / – छः करोड़ उनतीस लाख तिरानवे हजार रूपया है। (MVR Thana Code No. 157)

परीशिष्ट क

Structural and Civil Work

1. Earth Quake resistance RCC frame as per latest code. Structural design.
2. Ist Class Brick Masonary Work
3. Vetrified Tiles Flooring
4. Sal Wood Door Frame with Water proof / Anti-Termite ISI Flush door.
5. Steel Glazed Widow .
6. Standard ISI Anodized Aluminium Door Fitting of Shivalik / Equavalen Brand.
7. Compact Water proofing in down slab of Toilet and Kitchen
8. Water and heat treatment over top roof

Shree Krishna Homes

Toilet

1. Floor Tiles in Bath Room Floor
2. Hot and Cold Water connection in both Bathroom
3. Colour Glazed Tiles up to 6' Height
4. Ist Quality equivalent C.P. Fitting will be used
5. Somany/Parryware OT pan will be provided
6. Concealed water supply pipe of Staandard make will be used
7. All PVC pipes are provided of Supreme /equivalent Brand

Kitchen

1. Polished Granite provided at Cooking top
2. Stainless steel sink shall be provided
3. Over cooking top 2' Glazed Tiles will be provided.

Electrical

1. Concealed Conduit shall be provided
2. Finolex/Anchor copper wire or equivalent ISI wire will be provided.
3. Anchor / Harson or equivalent ISI switch shall be provided.
4. Adequate light and power point in each room
5. T.V. and Telephone point is provided in drawing room and Master bed room.

Painting

1. Internal wall and POP finish
2. External wall is finished with wall putty and painted by weather coat
3. Ist. Quality enamel paints over Door, Window and Grill.

Shree Krishna Homes

Shree Krishna Homes
Partner

Shree Krishna Homes
Partner

20/6/2017

यह कि यह एकरारनामा दोनो पक्षों ने अपने पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे। समाप्त

गवाह का नाम एवं पता

1. दीपक कुमार
पिता- श्री रामेश्वर राय
मुन-मुन वाला रोड
दानापुर पटना।
20/6/17

2. माया कुमारी
सुपुत्री - श्री रामईश्वर राय
मुन - मुन वाला रोड
दानापुर पटना।
20/6/17

छाया कुमारी
सुपुत्री - श्री रामईश्वर राय
मुन - मुन वाला रोड
दानापुर पटना
20/6/2017

सोनू कुमार
पिता → रामईश्वर राय
मुन मुन वाला रोड दानापुर कैन्ट (पटना)
20/6/2017

प्रथम पक्ष (भूस्वामी) का हस्ताक्षर

रामईश्वर राय
20/6/17

द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) का हस्ताक्षर

Shree Krishna Homes

1. Gyan Kaushik
20-6-17
Partners

2. Shree Krishna Homes
[signature]
Partners

3. 20/6/2017

दस्तावेज जाँचा
20-6-17

हस्ताक्षर

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

Union Bank challan checked

Signature

प्रारूपकर्ता [signature] 20/6/2017

Shree Krishna H...

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	1263860/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	1303860/-

Registration Fee (FEE PAID)

A1	40000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
								TOTAL-	40000		

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 1000

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 41000

Registering Officer
Danapur

Date: 20/06/2017

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 20th June 2017 by Ram Ishwar Rai Late Deep Narayan Rai by profession Others. Status - Executant

रामईश्वरराय
२०|६|१७

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:20/06/2017**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Deepak Kumar' age '25' Sex 'M', 'Rameshwar Rai', resident of 'Near Shiv Mandir,danapur,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 20/06/2017

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 126 on pages on 548 -561, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-20 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 20/06/2017

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Deepak Kumar
DOB: 22/01/1993
Male / MALE

6341 9566 5480

-Aam Aadmi ka Adhikar

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY

Address:
S/O: Rameshwar Rai, Near Shiv Mandir, Jhun Jhun Wala Road, Dinapur-Cum-Khagaul, Patna, Bihar - 801503

6341 9566 5480

Aadhaar -Aam Admi ka Adhikar

दीपक कुमार
20/6/17

अवर निबंधन कार्यालय
सत्यमेव जयते
दानापुर (पटना)

Shree Krishna Homes
Partners